रजिस्ट्री सं० डी०ए० ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2633] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 1941
No. 2633] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

का.आ. 2893(अ).—प्रारुप पुन: अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 5137 (अ), तारीख 1 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 4 अक्टूबर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के कलाबुर्गी जिले के चिंचोली तालुक में स्थित है और यह **134.88 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्रफल में फैला हुआ है जो पाँच खंडों अर्थात् खंड 1 से खंड 5 तक मिलकर बना है;

और, उक्त अभयारण्य चन्द्रपाली बांध के मुख्य स्त्रोत सारनदी (येतीपोतानाला) जो बाद में मुल्लामारी नदी में मिलती है, के महत्वपूर्ण बारहमासी धाराओं और सहायक नदीयों का जलग्रहण क्षेत्र भी है;

और, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य विविध वनस्पतियों और जीवजंतुओं का पर्यावास है। वनस्पतियों में प्रजातियां- *अकाकिया लेट्रोनम, अकासिया नीलोटिका, अकाकिया चंद्रा, अकाकिया कैटेचु, अकाकिया फेरबिनिया, अल्बिज़िया अमारा, अल्बिज़िया लेबेक, अनाकार्डियम ओसीडेंटेल, एनोइसेस लैटिफोलिया, अज़ादिराचता इंडिका, एलोवेरा, बौहिनिया रेसमोसा, बुटीया मोनोस्पर्मा, बॉम्बेक्स मालाबारिकम, कैसिया फिस्टुला, केयर्या अर्बोरिया, कैरिसा कारंडस, डेलबर्गिया सिससु,*

डेलबर्गिया लैटिफोलिया, डेलोनिक्स रेजीया, डेंडरोकैलेमस स्ट्रीक्टस, डोडोनिया विस्कोस, एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, युकोलाप्टस एसपीपी., फिकस बेंगलेंसिस, फिकस ग्लोमेराटा, फिकस रेलिगिओसा, ग्रुविया टिलियाफोलिया, गेमेलिना अर्बोरिया, हार्डविकिया बिनटा, होलोप्टेलिया इंटरग्रिफोलिया, लेगेस्ट्रोमिया परविफ्लोरा, मंगीफेरा इंडिका, मिशेलिया चंपका, पटरोकर्पस मर्सुपियम, पोंगामिया पिनाटा, प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा, समानिया सामन, सैंटलम एल्बम, सिजीगियमकुमीनी, तामारिन्डस इंडिका, टेक्टोना ग्रैंडिस, टर्मिनलिया चेबुला, टर्मिनलिया अर्जुन, टर्मिनलिया बेलेरिका, ज़िज़िफुस्क्मिलो कार्पस, ज़िज़िफस जुजुबा आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य में पाए गए स्तनधारियों में काला हिरण, सामान्य लंगूर, सामान्य लोमड़ी, लकड़बग्घा, पैंथर (तेंदुआ), खरगोश, भारतीय साही, भारतीय भेड़िया, सियार, जंगल बिल्ली, चूहा, नेवला, चित्तीदार हिरण, जंगली भालू आदि पाये जाते हैं। इसके अलावा चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य में जैसे एश वेन वार्बलर, ब्लैक ड्रॉन्गो, ब्लैक विंगड काइट, ब्लॉसम हेडेड पैराकिट, ब्लू कबूतर, ब्लू जे, ब्लैक हेड ऑरियोल, सामान्य वीवर पक्षी, चेस्टनट बेलीड नट-हैच, सामान्य मैना, क्रो फिजेंट, कॉमन हॉक, मवेशी इगरेट, कॉमन पीफौल, कॉमन किंगफिशर, ग्रे बब्बलर, ग्रे वाग्टेल, ग्रे जंगल फॉउल, ग्रेट होर्नड, ग्रे पैट्रिज, गोल्डन बैक्ड बुड पिकर, भारतीय रॉबिन, जंगल बाबलर, कोयल, लूगर फाल्कन, मुनिया, पाइड वाग्टेल, पारिया काइट, रेड वेंटल बुलबुल, रेड कछुए कबूतर, रोज रिंगेड पैराकिट, व्हिस्लिंग थ्रस आदि जीवजंतु हैं;

और, अभयारण्य में पाए गए सरीसृपों में कोबरा, गिरगिट, गार्डन छिपकली, करैत, मॉनीटर छिपकली, पायथन, चूहा सांप, वाइपर, कछुआ इत्यादि शामिल हैं;

और, चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) जिसे अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया हो की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य कालाबर्गी जिला में चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर (अंतरराज्यिय सीमा के कारण) से 9.8 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारो ओर शून्य किलोमीटर से 9.8 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 165.28 वर्ग किलोमीटर है। (तेलंगाना राज्य के साथ अंतरराज्यिय सीमा के कारण शून्य विस्तृत है।)

(2) चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रुप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध -IIक, उपाबंध–IIख, उपाबंध–IIग** और **उपाबंध–IIघ** के रुप में संलग्न है।

(4) चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले संलग्न ग्रामों, रिजर्व वन, अवर्गीकृत वनों, ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के सारणी **क,** सारणी **ख,** सारणी **ग** और सारणी **घ** के रुप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज;
(xi) लोक निर्माण विभाग;
(xii) राजमार्ग; और
(xiii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों का संपादन करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.**– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर खंड (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और
(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीअरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिदांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा जारी और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.**- लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाईयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.**- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सदभावी स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
11.	फर्मो, निगमो और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
12.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
13.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
14.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।

15.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
18.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
19.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
20.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी किया जायेगा।
22.	ठोस अपशिष्ट एवं प्रबन्धन।	ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन ।
23.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति के संगठक**	**पद**
(i)	प्रादेशिक आयुक्त, कालाबर्गी	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	माननीय विधान सभा सदस्य, चिंचोली निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(viii)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(x)	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, कालाबर्गी जिला	सदस्य;
(xi)	उप वन संरक्षक, कालाबर्गी प्रभाग, कालाबर्गी	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संविक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उसके सिवाय पैराग्राफ 4 के अधीन श्रेणी में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाया - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेश- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/10/2016-ई एस जेड-आरई]

डॉ टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	रेखा बिदर वन प्रभाग के चन्गलेर आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा के साथ निर्देशांक पू 77.342137 उ 17.58734 के बिंदु के साथ आरंभ होकर और चन्गलेर वन सर्वे सं. 59 की सीमा के साथ पू 77.369357 उ 17.605204 के साथ बिंदु पहुँचती है सीमा के साथ जाती है और उसी वन सर्वे सं. 31 भू-भाग के पू 77.390256 उ 17.628246 के बिंदु के साथ पहुँचकर जो बिंदु का उत्तरी मुख्य सिरा है, इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर और उसी वन के उत्तरी सीमा के साथ जाती है और पू 77.413905 उ 17.616382 के साथ करवाकापल्ली ग्राम सर्वे सं. 63 के भू-भाग बिंदु पहुँचकर और दक्षिण की ओर जाती है फिर यह वन सीमा के सैयदापुर ग्राम सर्वे सं. 58 के निर्देशांक पू 77.406753 उ 17.594797 के साथ बिंदु पहुँचती है । इसके बाद रेखा पूर्वी भाग की ओर मुड़कर और काराकानाहल्ली वन सर्वे सं. 82 सीमा के बिंदु पहुँचती है और पुनः यह बिंदु के निर्देशांक पू 77.447229 उ 17.582405 तक जाती है जो चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-I का बिंदु भी है । इसके बाद रेखा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर और खण्ड-I की सीमा के साथ जाती है और उसी खण्ड के अंतिम बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर और चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य खण्ड-2 की सीमा के साथ मुड़कर और संगापुर वन सीमा के निर्देशांक पू 77.508106 उ 17.541541 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा पूर्वी दिशा में मुड़कर और कर्नाटक और तेलंगाना की अंतर-राज्य सीमा के साथ जाती है और धरमसागर और वेंकटापुर अवर्गीकृत वन सीमा के निर्देशांक पू 77.579788 उ 17.557373 के

	बिंदु के साथ पहुँचती है । इसके बाद रेखा दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर और निर्देशांक 77.575429 देशांतर 17.530521 अक्षांश के बिंदु के पहुँचती है। इसके बाद रेखा वेंकटापुर वन की सीमा के साथ जाती है फिर यह निर्देशांक पू 77.595970 उ 17.560747 की बिंदु तक पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा कर्नाटक और तेलंगाना की अंतर-राज्य सीमा के साथ पूर्वी भाग में जाती है फिर यह निर्देशांक पू 77.690411 उ 17.509890 बिंदु के साथ पहुँचती है।
पूर्व	बिंदु के ऊपर से रेखा आरंभ होकर और कर्नाटक एवं तेलंगाना की अंतर-राज्य सीमा के साथ दक्षिणी भाग में जाती है यह मगदामपुर ग्राम के बिंदु के साथ निर्देशांक पू 77.689816 उ 17.474358 पहुँचती है ।
दक्षिण	बिंदु के ऊपर से रेखा पश्चिम दिशा में निर्देशांक पू 77.689816 उ 17.474358 बिंदु के साथ आरंभ होकर और चिंचोली वन्यजीव अभयाण्य खण्ड**-IV** के साथ मुड़कर यह निर्देशांक पू 77.653649 उ 17.481781 के साथ बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा उत्तरी दिशा में मुड़कर और मगदामपुर ग्राम की सीमा के साथ निर्देशांक पू 17.658223 उ 7.505355 के बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिणी भाग की ओर मुड़कर और पुनः यह पोचावरम ग्राम की सीमा के साथ निर्देशांक पू 77.644213 उ 17.475911 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा पोचावरम-कोंचावरम ग्राम की सीमा के निर्देशांक पू 77.634886 उ 17.472413 बिंदु के साथ होते हुए जाती है यह कोंचावरम ग्राम की सर्वे सं. 63 पहुँचती है । इसके बाद रेखा कोंचावरम की ग्राम सीमा के साथ पश्चिमी भाग में जाती है यह चिंदानूर ग्राम सर्वे सं. 92 एवं 93 के निर्देशांक पू 77.617034 उ 17.473107 अक्षांश बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा जिलवारशा ग्राम सर्वे सं. 20, 21, 22, 24, 5, 9, 10 के साथ और जिलवारशा के नाला के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद रेखा जिलवारशा ग्राम के सर्वे सं. 238, 237, 100, 94 से होते हुए और निर्देशांक पू 77.591594 उ17.450808 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा जिलवारशा ग्राम की सीमा के साथ पश्चिमी भाग की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त शादीपुर ग्राम सर्वे सं. 125, 77, 76, 75, 74 (72 भाग) 29/क, 29/1, 29/24, 29/19, 29/18, 29/17, (29/15 भाग) 40, 38 से होते हुए और शादीपुर ग्राम के नाला पहुँचती है। इसके बाद रेखा शादीपुर सर्वे सं. 18 से होते हुए यह निर्देशांक पू 77.549104 उ 17.468089 बिंदु के साथ पहुँचती है। इस बिंदु से रेखा शादीपुर ग्राम की सर्वे सं. (113 भाग) (199 भाग), 118, 108/113, 108/114, 108/106, 108/53, 108/45, 108/40 के साथ दक्षिणी दिशा में जाती है यह निर्देशांक पू 77.546001 उ 17.442623 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा कर्नाटक एवं तेलंगाना राज्यों की अंतर-राज्य सीमा के साथ पश्चिमी भाग की ओर जाती है यह निर्देशांक पू 77.514238 उ 17.429591 पहुंचती है। इसके बाद रेखा दक्षिणी भाग की ओर मुड़कर और इसके अतिरिक्त दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़कर यह चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक पू 77.538770 उ 17.405659 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा पुनः यह मिरियम ग्राम के निर्देशांक पू 77.519937 उ 17.385802 अक्षांश पहुँचती है।
पश्चिम	बिंदु के ऊपर से रेखा मिरियान ग्राम के सर्वे सं. (134 भाग) 119, 118, 24, 25, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8 से होते हुए जाती है यह कल्लुर सड़क, सर्वे सं. 58 के निर्देशांक पू 77.491831 उ 17.392256 बिंदु के साथ कल्लुर ग्राम के नाला पहुँचती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 89, 41, 40, 45, 35, 29, 27, 20 से

	होते हुए जाती है और सोमालींगदाल्ली के नाला पहुँचती है। इसके बाद रेखा सोमालींगदाल्ली ग्राम सर्वे सं. 19, 18, 5 से होते हुए यह निर्देशांक पू 77.477334 उ 17.416241 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा सर्वे सं. 9 से होते हुए और चिक्कलींगदाल्ली ग्राम की सर्वे सं. 24 से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा चिक्कलींगदाल्ली के सर्वे सं. 23, 22, 91, 78, 79, 80, 75, 74, 73/2 से होते हुए जाती है। इसके बाद उत्तर-पश्चिम दिशा में जाती है और सर्वे सं. 107, 123, 122, 121, 120, 113, 114 से होते हुए यह निर्देशांक पू 77.452466 उ 17.446609 अक्षांश बिंदु के साथ कलभावी ग्राम की सर्वे सं. 115 पहुँचती है। इसके बाद रेखा उत्तरी दिशा में जाती है और कलभावी ग्राम के सर्वे सं. 117,16,17,18,47,48,49,55 से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा इसके अतिरिक्त भोगलींगदाल्ली ग्राम की सर्वे सं. 58, 59, 52, 51, 40, 39, 38, 37, 72, 73, 70 से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा इनोल्ली ग्राम के सर्वे सं. 120, 119, 117/1 से होते हुए यह निर्देशांक पू 77.4716121 उ 17.1491508 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा इंसोले ग्राम के सर्वे सं. 127,126,125,130,132,57,166,147,146,86 से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर जाती है । रेखा इसके अतिरिक्त इंसोले ग्राम समीप सड़क के साथ जाती है और इंसोले धारा और इसके अतिरिक्त रेखा पथेपुर ग्राम की सर्वे सं. 36,33,31,30,29 पहुँचती है और रेखा कोल्लुर ग्राम की सर्वे सं. 203,202,198,197,194,191,154,9,10, से होते हुए जाती है । इसके बाद रेखा नगाइदलाइ ग्राम की सर्वे सं. 131,141,140/1,139,150,139, से होते हुए जाती है। इसके बाद रेखा सर्वे सं. 152,153,117,88,89,91,84,83,53 (7 भाग) से होते हुए उत्तरी भाग जाती है और इसके अतिरिक्त नगाइदलाइ ग्राम के सर्वे सं. 53 से होते हुए जाती है यह निर्देशांक पू 77.406737 उ 17.576398 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके बाद रेखा दक्षिण की ओर जाती है और यह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर यह निर्देशांक पू 77.380054 उ 17.577700 बिंदु के साथ पहुँचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा टुमाकुन्ता ग्राम की सर्वे सं. 24 एवं 25 से होते हुए दक्षिणी दिशा में जाती है और इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आरंभिक बिंदु के निर्देशांक पू 77.342137 उ 17.587314 के साथ टुमाकुन्ता वन सीमा के साथ जाती है ।

उपाबंध-IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

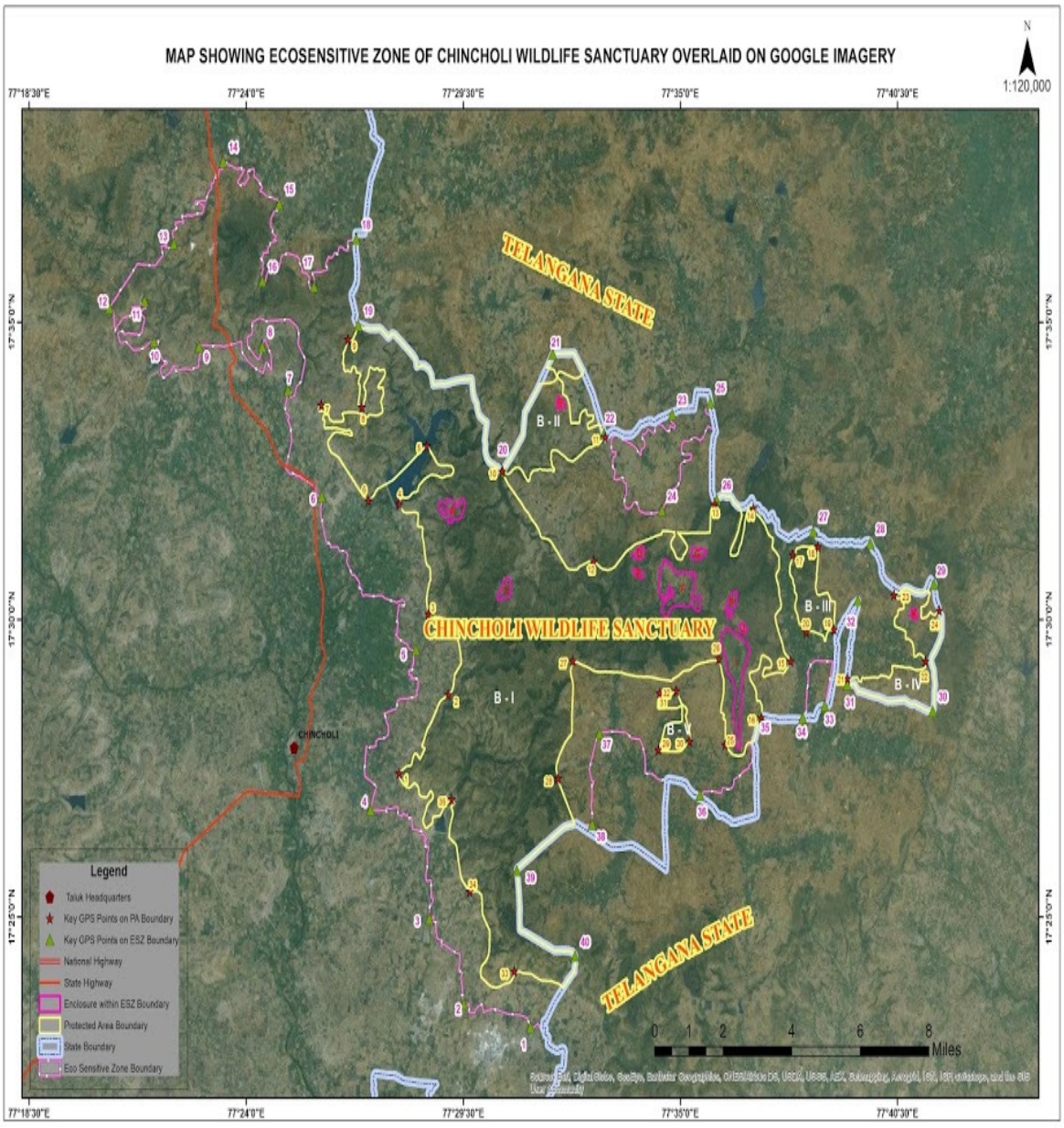

उपाबंध -IIIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र

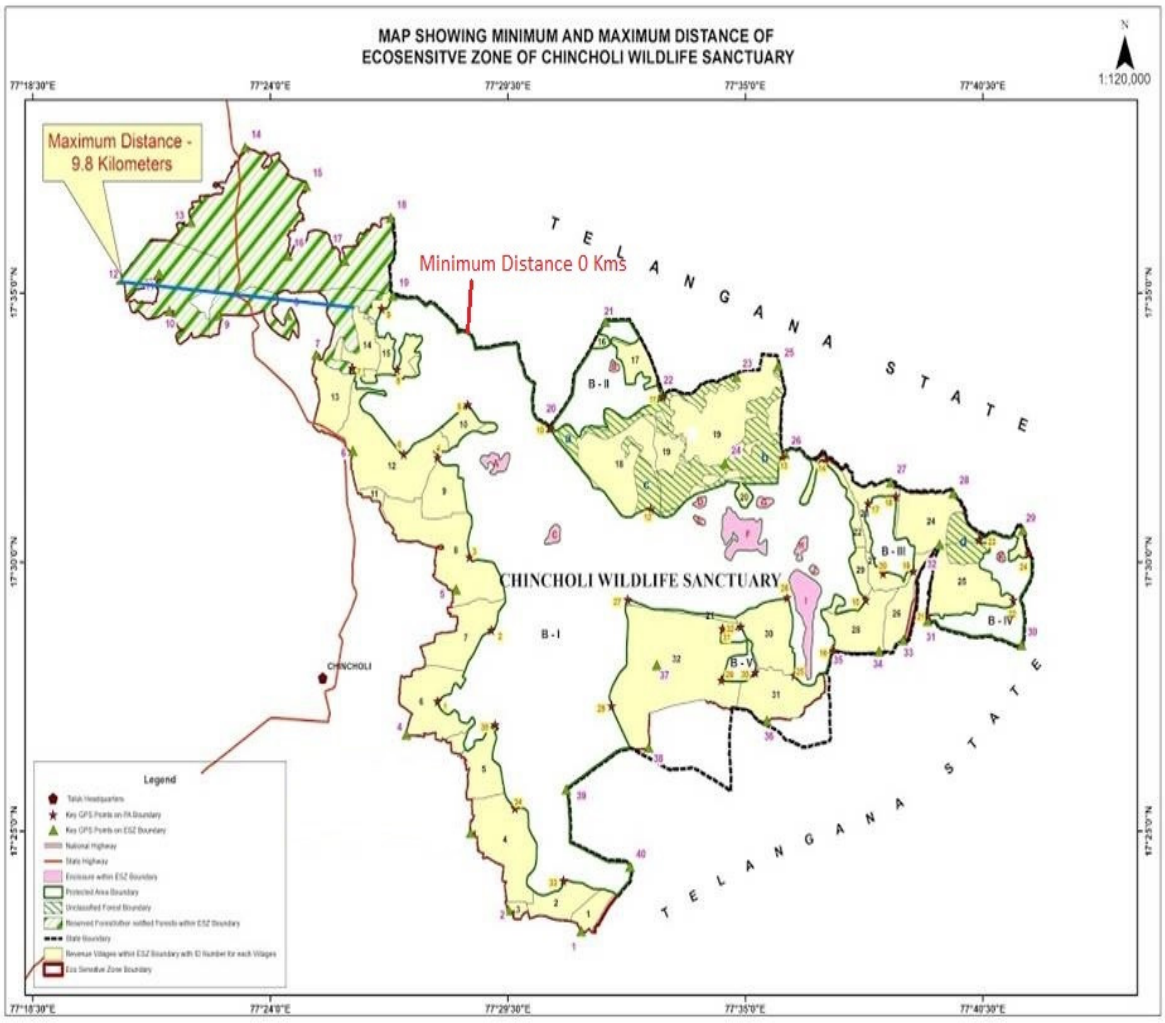

उपाबंध -IIIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

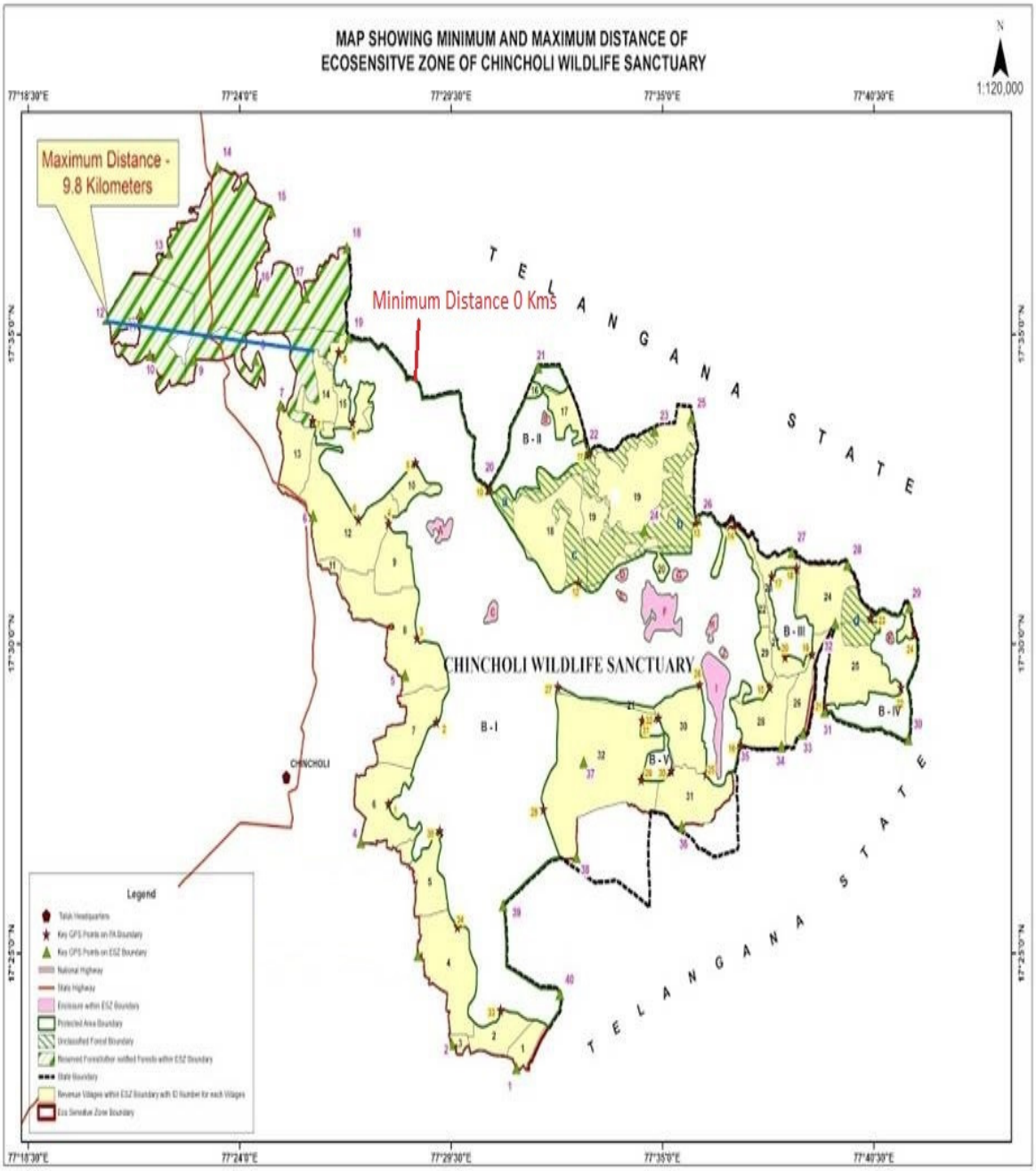

उपाबंध -IIIघ

चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 10 बफर के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र

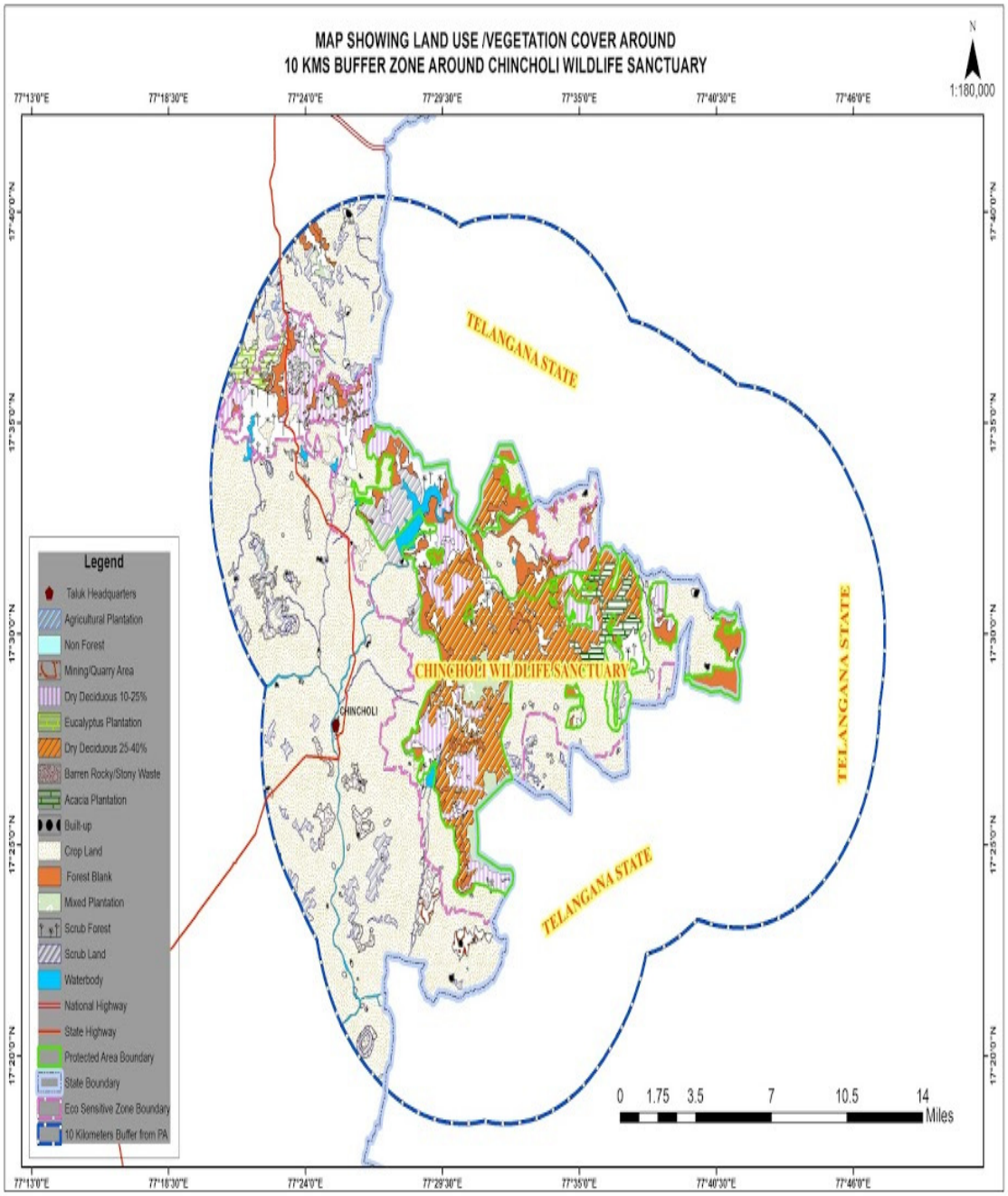

उपाबंध -III

सारणी क: चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	17	27	25.18	77	27	52.26
2	17	28	44.19	77	29	6.80
3	17	30	5.79	77	28	36.58
4	17	31	56.70	77	27	52.32
5	17	32	55.40	77	28	34.46
6	17	32	0.50	77	27	5.22
7	17	33	36.45	77	25	53.80
8	17	33	34.32	77	26	55.73
9	17	34	42.42	77	26	34.45
10	17	32	29.55	77	30	29.26
11	17	33	3.68	77	33	5.23
12	17	30	58.76	77	32	48.35
13	17	31	56.81	77	35	51.80
14	17	31	52.12	77	36	51.11
15	17	29	18.08	77	37	47.34
16	17	28	21.05	77	37	2.60
17	17	31	5.46	77	37	50.65
18	17	31	13.35	77	38	29.10
19	17	29	50.09	77	38	53.51
20	17	29	47.53	77	38	11.29
21	17	29	0.84	77	39	13.89
22	17	29	17.85	77	41	12.34
23	17	30	25.00	77	40	24.62
24	17	30	9.03	77	41	33.36
25	17	27	54.06	77	36	7.87
26	17	29	20.53	77	35	58.17
27	17	29	18.53	77	32	16.41
28	17	27	19.73	77	31	53.94
29	17	27	48.55	77	34	26.54
30	17	28	0.96	77	35	13.57

31	17	28	46.01	77	34	28.12
32	17	28	48.26	77	34	53.42
33	17	24	5.34	77	30	47.34
34	17	25	25.80	77	29	39.69
35	17	26	58.70	77	29	12.04

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	17	23	8.89	77	31	11.77
2	17	23	32.12	77	29	30.59
3	17	24	58.47	77	28	38.40
4	17	26	47.79	77	27	8.88
5	17	29	29.43	77	28	17.80
6	17	32	3.85	77	25	54.36
7	17	33	51.34	77	25	3.40
8	17	34	35.03	77	24	24.25
9	17	34	35.03	77	22	48.19
10	17	34	39.72	77	21	39.47
11	17	35	21.33	77	21	25.37
12	17	35	14.33	77	20	31.69
13	17	36	18.73	77	22	9.69
14	17	37	41.69	77	23	24.92
15	17	36	58.98	77	24	50.06
16	17	35	41.27	77	24	24.31
17	17	35	35.83	77	25	43.08
18	17	36	23.62	77	26	47.19
19	17	34	56.66	77	26	50.02
20	17	32	29.55	77	30	29.18
21	17	34	27.61	77	31	45.85
22	17	33	7.17	77	33	3.74
23	17	33	26.54	77	34	47.24
24	17	31	49.88	77	34	31.54
25	17	33	38.69	77	35	45.49

26	17	32	0.75	77	35	55.07
27	17	31	28.91	77	38	21.93
28	17	31	16.58	77	39	48.65
29	17	30	35.60	77	41	25.48
30	17	28	27.69	77	41	23.34
31	17	28	54.41	77	39	13.14
32	17	30	19.28	77	39	29.60
33	17	28	33.28	77	38	39.17
34	17	28	20.69	77	38	5.59
35	17	28	23.19	77	37	1.32
36	17	27	2.91	77	35	29.74
37	17	28	5.12	77	32	56.77
38	17	26	33.44	77	32	45.60
39	17	25	46.53	77	30	51.26
40	17	24	20.37	77	32	19.57

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों के साथ चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

मानचित्र आईडी	ग्राम के नाम	विस्तार (हेक्टेयर में)	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणियां
			डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	
1	मरियाना	122.97	17	23	32.27	77	31	26.84	अंश ग्राम
2	भैरामपल्ली	226.88	17	23	42.41	77	30	44.49	अंश ग्राम
3	कल्लुरा रोड	33.8	17	23	34.37	77	29	43.13	अंश ग्राम
4	सोमालिंगाधाल्ली	626.61	17	24	47.42	77	29	28.13	अंश ग्राम
5	चिक्कालिंगाधाल्ली	301.99	17	26	13.80	77	28	51.79	अंश ग्राम
6	कलभावी	477.52	17	27	24.27	77	27	44.83	अंश ग्राम
7	बोगालिंगादाहल्ली	417.26	17	28	38.93	77	28	28.02	अंश ग्राम
8	इनोल्ली	792.33	17	30	12.99	77	28	5.46	अंश ग्राम
9	चंद्रमपल्ली	301.14	17	31	22.32	77	28	4.57	अंश ग्राम
10	गोट्टामैगोट्टाके .	146.35	17	32	40.08	77	28	16.26	अंश ग्राम
11	पत्थेपुरा	38.02	17	31	13.64	77	26	24.73	अंश ग्राम
12	कोल्लुर	842.1	17	32	2.93	77	26	41.30	अंश ग्राम
13	नगाईदलाई	318.2	17	33	7.18	77	25	26.33	अंश ग्राम
14	कुसरामपल्ली	195.71	17	34	1.72	77	26	9.04	अंश ग्राम
15	मानिकपुरा	231.64	17	34	2.45	77	26	50.70	अंश ग्राम

16	कथानागिद्दा	31.43	17	34	5.17	77	31	46.64	अंश ग्राम
17	संगापुरा	188.26	17	33	33.09	77	32	19.78	अंश ग्राम
18	धरमासागर	923.85	17	31	52.01	77	32	5.78	पूर्ण ग्राम
19	कुसरामपल्ली	1924.51	17	32	23.10	77	34	21.12	पूर्ण ग्राम
20	अन्थावारम	78.71	17	31	22.52	77	35	3.42	अंश ग्राम
21	बुरागदोद्दी	56.39	17	29	29.25	77	33	37.69	अंश ग्राम
22	लिंगानागरा	141.23	17	31	8.09	77	37	7.79	अंश ग्राम
23	भोनसापुरा	364.13	17	30	54.23	77	38	2.53	अंश ग्राम
24	शिवरामपुरा	513.39	17	30	45.13	77	39	19.53	अंश ग्राम
25	मोगाधामपुरा	639.83	17	29	41.44	77	40	8.97	अंश ग्राम
26	पोचावराम	226.17	17	29	10.24	77	38	36.67	अंश ग्राम
27	शिवारेड्डीपल्ली	255.96	17	29	54.76	77	38	21.57	अंश ग्राम
28	कंचावराम	386.51	17	28	50.34	77	37	40.20	अंश ग्राम
29	लक्ष्मासागरा	123.6	17	29	41.38	77	37	32.20	अंश ग्राम
30	चिंधानुरा	426.92	17	28	38.96	77	35	34.55	अंश ग्राम
31	जिलावर्षा	431.68	17	27	32.27	77	35	44.21	अंश ग्राम
32	शादीपुरा	1613.21	17	28	2.62	77	33	16.69	अंश ग्राम
कुल:		**13398.3**							

सारणी ख: चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत संलग्न ग्रामों का विवरण

मानचित्र आई डी	**संलग्न के नाम**	**विस्तार (हेक्टेयर में)**	**अक्षांश**			**देशांतर**		
			डिग्री	**मिनट**	**सेकेण्ड**	**मिनट**	**डिग्री**	**सेकेण्ड**
ए	चन्द्रमपल्ली	47.71	17	31	51.10	77	29	13.43
बी	संगापुर	9.65	17	33	37.58	77	31	57.41
सी	सेरिबीकनाल्ली	25.16	17	30	29.95	77	30	33.49
डी	अन्थावरम-1	12.22	17	31	6.53	77	33	57.64
ई	अन्थावरम -2	7.39	17	30	46.26	77	33	56.10
एफ	अन्थावरम -3	181.62	17	30	30.92	77	34	54.71
जी	अन्थावरम -4	17.33	17	31	6.49	77	35	25.93
एच	मोमबापुर	21.58	17	30	15.88	77	36	17.59
आई	चिन्दानूर	193.82	17	29	8.52	77	36	23.76
जे	लछमसागर	7.34	17	29	51.11	77	36	35.06
के	मगदामपुर	7.4	17	30	5.58	77	40	55.13
	कुल	**531.22**						

सारणी ग: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत रिजर्व वन क्षेत्रों का विवरण

क्र. सं.	रिजर्व वन के नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	जी.ओ/अधिसूचना संख्या
1	चानग्लैर रिजर्व वन	752.05	ए एफ डी /133/ एफ ए एफ /65 तारीख.18.03.1966
2	चिंचोली रिजर्व वन	511.76	यू/ एस 7 के एच एफ ए
कुल		**1263.81**	

सारणी घ: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत गैर-वर्गीकृत वन क्षेत्रों का विवरण

मानचित्र आई डी	वन का नाम	वन की श्रेणी	अक्षांश			देशांतर			क्षेत्र हेक्टेयर में
			डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	
ए	पोचावरम	गैर-वर्गीकृत वन	17	32	15.42	77	30	53.30	58.86
बी	वेंकटापुर	गैर-वर्गीकृत वन	17	32	9.41	77	34	7.26	708.69
सी	धर्मासागर	गैर-वर्गीकृत वन	17	31	29.65	77	32	39.57	568.79
	कुल:								**1336.34**

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

S.O. 2893(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 5137 (E), dated the 1st October 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 4th October 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Chincholi Wildlife Sanctuary is situated in Chincholi Taluk of Kalaburagi District of the State of Karnataka and is spread over an area of **134.88 square kilometres** comprising of five blocks *viz,* Block-I to Block-V;

AND WHEREAS, the said Sanctuary is also catchment of important perennial streams and tributaries of Sarnadi (Yetipothanala) the main source of Chandrampali dam which later joins the river Mullamari;

AND WHEREAS, the Chincholi Wildlife Sanctuary is home for diverse flora and fauna; the flora comprises of species like *Acacia latronum, Acacia nilotica, Acacia chundra, Acacia catechu, Acacia ferruginea, Albizzia amara, Albizzia lebbek, Anacardium occidentale, Anogeissus latifolia, Azadirachta indica, Aloe vera, Bauhinia racemosa, Butea monosperma, Bombax malabaricum, Cassia fistula, Careya arborea, Carissa carandus, Dalbergia sissoo, Dalbergia latifolia, Delonix regia, Dendrocalamus strictus, Dodonia viscose, Emblica officinalis, Eucalyptus spp., Ficus bengalensis, Ficus glomerata, Ficus religiosa, Grewia tiliaefolia, Gmelina arborea, Hardwickia binata, Holoptelia intergrifolia, Lagerstroemia parviflora, Mangifera indica, Michelia champaca, Pterocarpus marsupium, Pongamia pinnata, Prosopis juliflora, Samania Saman, Santalum album, Syzygiumcumiini, Tamarindus indica, Tectona grandis, Terminalia chebula, Terminalia arjuna, Terminalia belerica, Zizyphusxylo carpus, Zizyphus jujube,* etc.,

AND WHEREAS, the mammals found in the said Sanctuary are Black buck, common langur, common fox, hyaena, panther (leopard), hare, Indian porcupine, Indian wolf, jackal, jungle cat, mice, mongoose, spotted deer, wild boar, etc. and apart from this the Chincholi Wildlife Sanctuary consists of Avi fauna such as Ashy wren warbler, black drongo, black winged kite, blossom headed parakeet, blue pigeon, blue jay, black headed oriole, common weaver bird, chestnut bellied nut-hatch, common myna, crow pheasant, common hawk, cattle egret, common peafowl, common kingfisher, grey babbler, grey wagtail, grey jungle fowl, great horned owl, grey patridge, golden backed wood pecker, Indian robin, jungle babbler, koel, luggar falcon, munia, pied wagtail, pariah kite, red vented bulbul, red turtle dove, rose ringed parakeet, whistling thrush, etc.;

AND WHEREAS, the reptiles found in the said Sanctuary include cobra, chameleon, garden lizard, krait, monitor lizard, python, rat snake, viper, tortoise, etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the protected area of Chincholi Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero kilometre (due to inter-State boundary) to 9.8 kilometres around the boundary of Chincholi Wildlife Sanctuary, in Kalaburagi District in the State of Karnataka as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent varying from zero kilometre to 9.8 kilometres around the boundary of Chincholi Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 165.28 square kilometres *(Zero extent is due to inter-State boundary with the State of Telangana).*

   (2) The boundary description of Chincholi Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Chincholi Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID.**

   (4) List of geo-coordinates of the boundary of Chincholi Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The lists of villages, enclosure villages, reserve forest, un-classified forests falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points are appended as Table **A,** Table **B,** Table **C** and Table **D** of **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in

the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval in the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department;
(xii) Highways; and
(xiii) Karnataka State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents, such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.– Bio- medical waste management shall be as under:-

(a) the Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in-compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission of the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
11.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
12.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
13.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
14.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done by taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
15.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
18.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
19.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water; otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		regulated as per the applicable laws.
20.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per applicable laws and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
22.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
(i)	Regional Commissioner, Kalaburagi	Chairman, ex officio
(ii)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Chincholi Constituency	Member;
(iii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
(iv)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
(v)	A representative of Non-Government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;

(vi)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vii)	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
(viii)	A representative from the State Public Works Department	Member;
(ix)	A representative from the State Pollution Control Board	Member;
(x)	Deputy Commissioner or his representative, Kalaburagi District	Member;
(xi)	The Deputy Conservator of Forests, Kalaburagi Division, Kalaburagi	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Supreme Court, etc. orders.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Additional measures.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or a High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/10/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY KARNATAKA

North	The line starts from a point with co-ordinates E 77.342137 N 17.58734 runs along the western boundary of Changlair Reserve Forest of Bidar Forest division and reaching a Point with co-ordinates E 77.369357 N 17.605204 along the boundary of Changlair Forest Sy. No. 59 along the boundary runs and reaches a point with co-ordinates E 77.390256 N 17.628246 of the same forest Sy. No. 31 corner which is the northern most tip of the Point, then the line turns southeast and runs all along the northern boundary of the same forest and reaches corner point of Karavakapalli village Sy. No. 63 with co-ordinates E 77.413905 N 17.616382 and runs towards South till it reaches a Point with co-ordinates E 77.406753 N 17.594797 on Sydapur Village Sy. No. 58 on Forest boundary. Then line turns towards Eastern side and reaches a point of Karakanhalli Forest Sy. No. 82 boundary and continues till the point with co-ordinates E 77.447229 N 17.582405 which is also the point on the Chincholi Wildlife Sanctuary Block-I. Then the line turns southeast and runs all along the boundary of Block-I and reaches the end point of the same block. Then the line turns northeast and moves along the boundary of Chincholi Wildlife Sanctuary Block-II and reaches a point with co-ordinates E 77.508106 N 17.541541 of the Sangapur Forest boundary. Then the line runs in eastern direction and runs all along the Interstate boundary of Telangana and Karnataka and reaches a point with co-ordinates E 77.579788 N 17.557373 on Dharmasagar and Venkatapur un-classified forest boundary. Then the line runs in southwest & southeast direction and reaches a point with co-ordinates 77.575429 lat 17.530521. Then line runs along the boundary of Venkatapur Forest till reaches a point with co-ordinates E 77.595970 N 17.560747. Further, the line runs eastern side along the Inter State boundary of Karnataka &Telangana till it reaches a point with co-ordinates E 77.690411 N 17.509890.
East	From the above point the line starts and runs in southern direction along the Interstate boundary of Karnataka & Telangana till it reaches a point on Magdampur village with co-ordinates E 77.689816 N 17.474358.
South	From the above point the line starts from a point with co-ordinates E 77.689816 N 17.474358 in west direction and moves all along the Block-IV till it reaches a point with co-ordinates E 77.653649 N 17.481781. Then line turns in northern direction and reaches a point with co-ordinates E 17.658223 N 7.505355 along the boundary of Magdampur village. Then the line turns towards southern direction and continues till it reaches a point with co-ordinates E 77.644213 N 17.475911 along the boundary of Pochawaram village. Then the line runs through a point with co-ordinates E 77.634886 N 17.472413 on the boundary of Pochwaram-Konchawaram village till it reaches Sy. No. 63 of Konchwaramvillage. Then the line runs in western direction along the village boundary of Konchawaram till it reaches a point with co-ordinates E 77.617034 N 17.473107 ofChindanoor village Sy. Nos. 92 & 93. Then the line runs towards southwest along the Jilwarsha village Sy. Nos. 20, 21, 22, 24, 5, 9, 10 and along the Nala of Jilwarsha. Then the line passes through Sy. Nos. 238, 237, 100, 94 of Jiwarsha village and reaches a point with co-ordinates E 77.591594 N17.450808. Then the line runs towards western side along the boundary of Jilwarsha village and further passes through Shadipur village Sy. Nos. 125, 77, 76, 75, 74, (72 part), 29/A, 29/1, 29/24, 29/19, 29/18, 29/17, (29/15 part), 40, 38 and reaches Nala of Shadipur village. Then line passes throughSy. No. 18 Shadipur it reaches a point with co-ordinates E 77.549104 N 17.468089. From this point the line runs in southern direction along the Sy. Nos. (113 part), (199 part), 118, 108/113, 108/114, 108/106, 108/53, 108/45, 108/40 of Shadipur village till it reaches a point with co-ordinates E 77.546001 N 17.442623. Then the line runs towards western direction along the Interstate boundary of Karnataka & Telangana States till it reaches a point with co-ordinates E 77.514238 N 17.429591. Then the line turns towards southern direction and further turns towards southeast till it reaches a point with co-ordinates E 77.538770 N 17.405659 on Chincholi Wildlife Sanctuary. Then the line continues till it reaches a point with co-ordinates E 77.519937 N 17.385802 of Miriam village.

West	From the above point the line passes through Sy. Nos. (134 part), 119, 118, 24, 25, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8 of Miriyan village till it reaches a Nala of Kallur village on a point with co-ordinates E 77.491831 N17.392256 on Kallur Road, Sy. No.58. Then the line passes through Sy. Nos.89, 41, 40, 45, 35, 29, 27, 20 and reaches Nala of Somalingadalli village. Then the line passes through the Somalingadalli village Sy. Nos. 19, 18, 5 till it reaches a point with co-ordinates E 77.477334 N 17.416241. Further, the line passes through Sy. No. 9 and then passes through the Sy. Nos. No. 24 of Chikklingdalli village. Then the line passes through Sy. Nos. 23, 22, 91, 78, 79, 80, 75, 74, 73/2 of Chikkalingdalli village. Then the line runs in north western direction and passes through Sy. Nos. 107, 123, 122, 121, 120, 113, 114 till it reaches Sy. Nos. 115 of Kalbhavi village at a point with co-ordinates E 77.452466 N 17.446609. Then the line runs in northern direction and passes through the Sy. Nos. 117,16,17,18,47,48,49, 55 of Kalbhavi village. Then the line further passes through the Sy. Nos. 58,59,52,51,40,39,38,37,72,73, 70 of Bhogalingdalli village. Then the line passes through the Sy. Nos.120,119,117/1 of Inolli village till it reaches a point with co-ordinates E 77.4716121 N 17.1491508. Further, the line runs towards northwest direction passing through the Sy.Nos.127,126,125,130,132,57,166,147,146, 86, of Insole village. Then the line further runs along the Insole village approach road and reaches the Insole stream and the further the line enters Sy. 36,33,31,30, 29 of Pathepur village and the line then pass for about a furlong through Sy. Nos.203,202,198,197,194,191,154,9, 10, of Kallur village. Then the line passes through the Sy.Nos.131,141,140/1,139,150,139 of Nagaidlai village. Then the line runs innorthern direction passing through Sy. Nos. 152,153,117,88,89,91,84,83,53, (7part) and further passes through the Sy. Nos.53 of Nagaidlai village till it reaches a point with co-ordinates E 77.406737 N 17.576398. Then the line runs towards south and it turns in westward direction till it reaches a point with co-ordinates E 77.380054 N 17.577700. Further, the line runs in southern direction through Sy. Nos.24 & 25 of Tumakunta village and further runs along the Tumakunta Forest boundary with co-ordinates E 77.342137 N 17.587314 and reaches the starting point.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

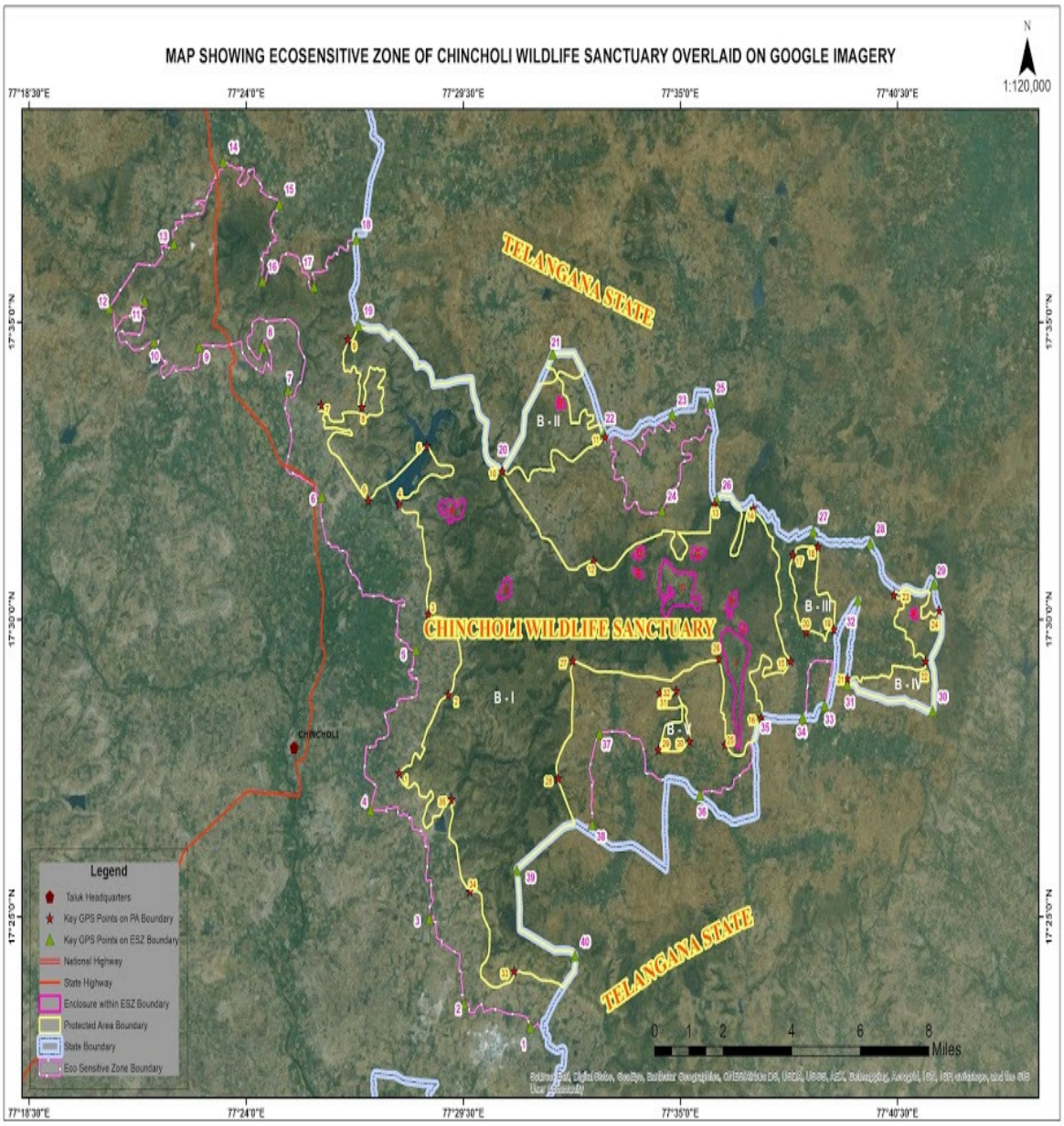

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

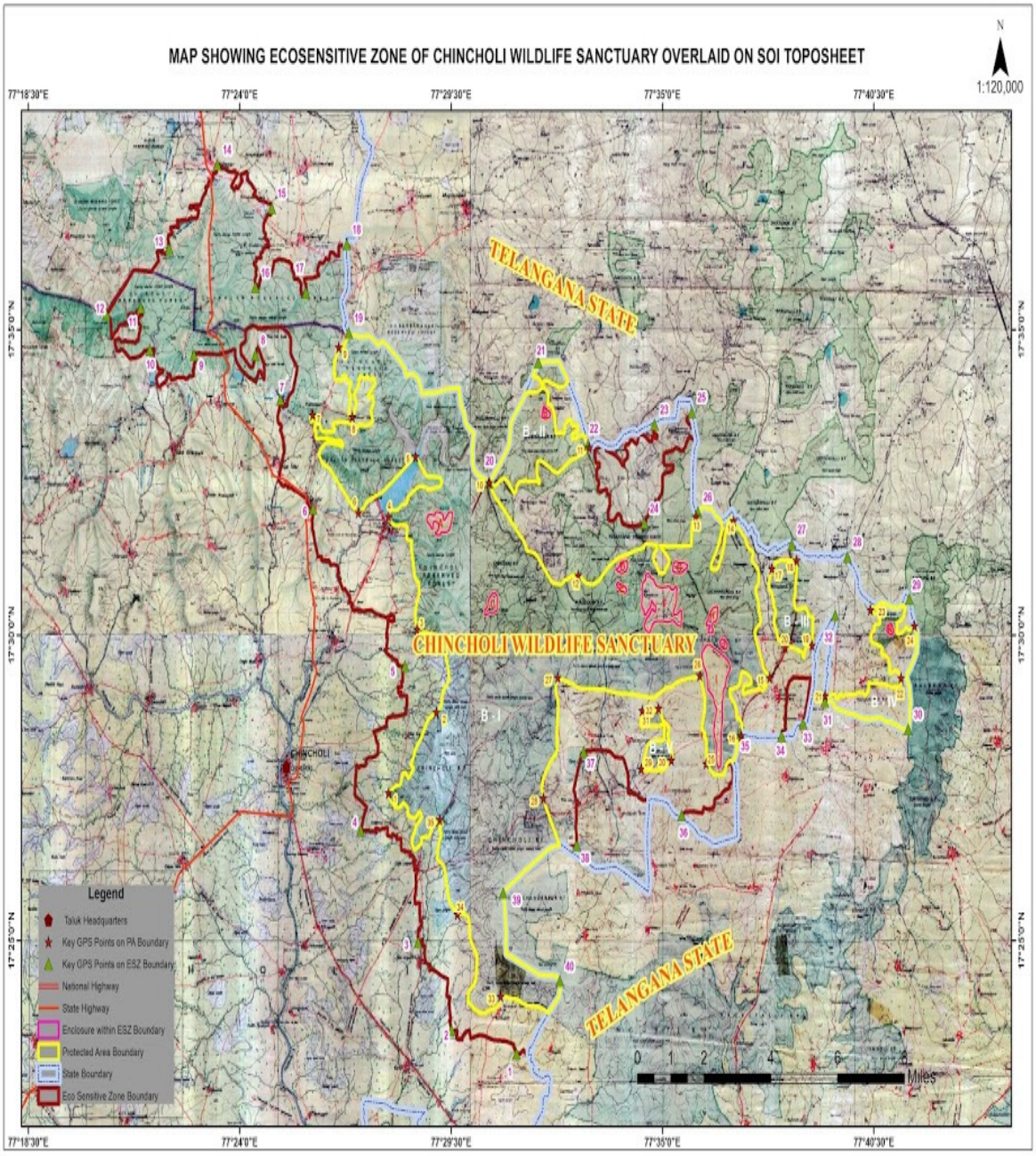

ANNEXURE- IIC

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

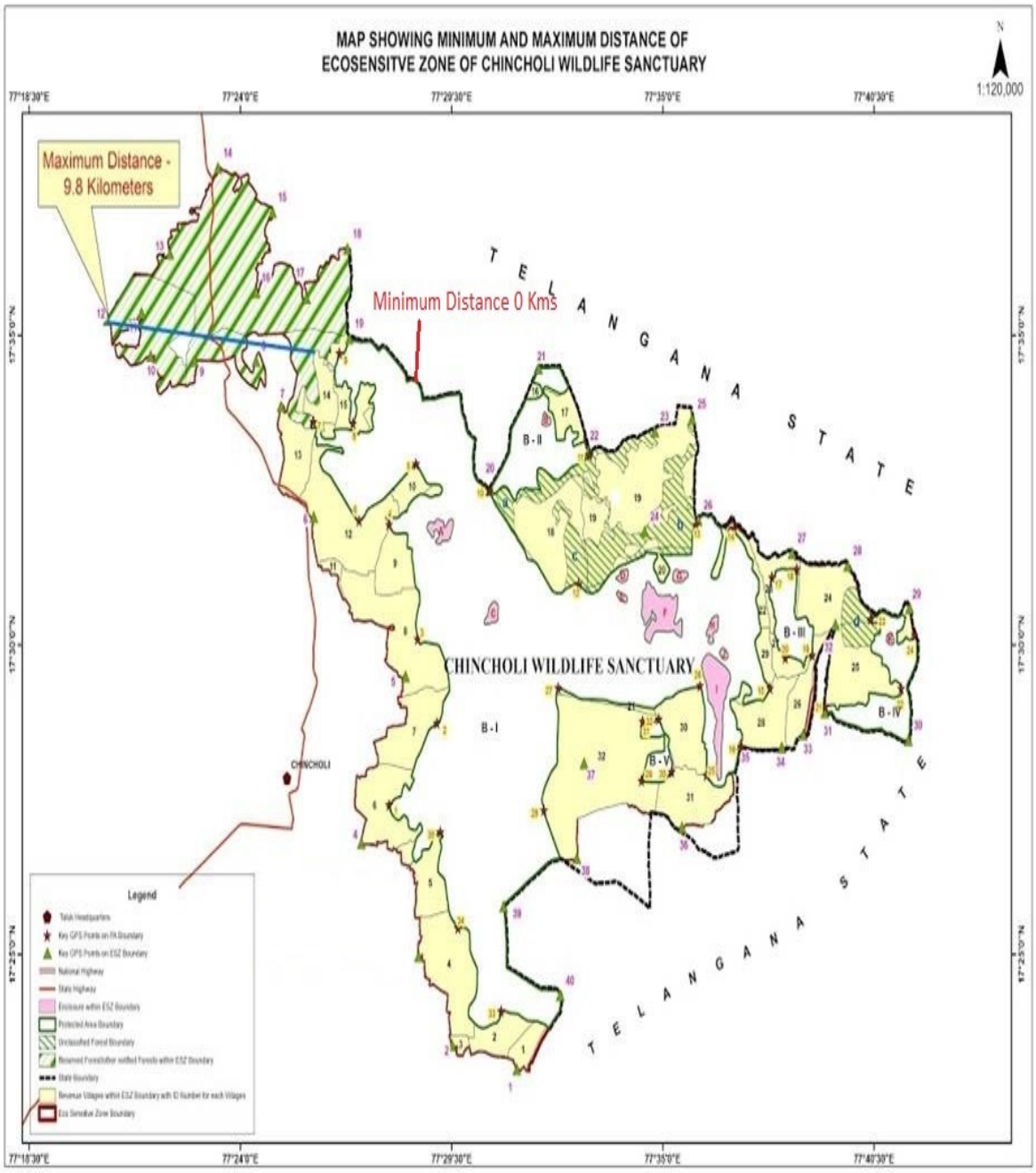

ANNEXURE- IID

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF 10 KILOMETRE BUFFER AROUND CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY WILDLIFE SANCTUARY

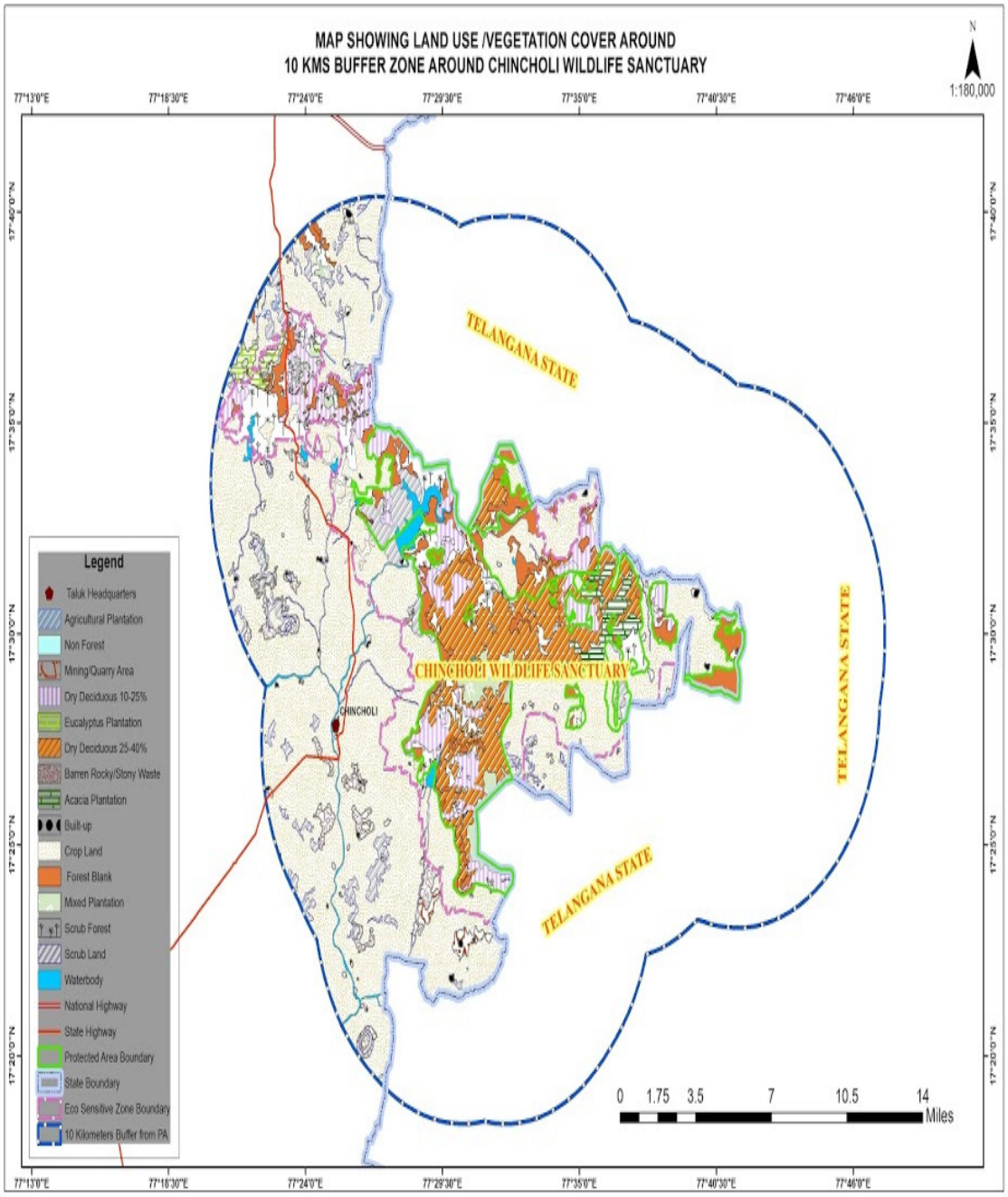

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	17	27	25.18	77	27	52.26
2	17	28	44.19	77	29	6.80
3	17	30	5.79	77	28	36.58
4	17	31	56.70	77	27	52.32
5	17	32	55.40	77	28	34.46
6	17	32	0.50	77	27	5.22
7	17	33	36.45	77	25	53.80
8	17	33	34.32	77	26	55.73
9	17	34	42.42	77	26	34.45
10	17	32	29.55	77	30	29.26
11	17	33	3.68	77	33	5.23
12	17	30	58.76	77	32	48.35
13	17	31	56.81	77	35	51.80
14	17	31	52.12	77	36	51.11
15	17	29	18.08	77	37	47.34
16	17	28	21.05	77	37	2.60
17	17	31	5.46	77	37	50.65
18	17	31	13.35	77	38	29.10
19	17	29	50.09	77	38	53.51
20	17	29	47.53	77	38	11.29
21	17	29	0.84	77	39	13.89
22	17	29	17.85	77	41	12.34
23	17	30	25.00	77	40	24.62
24	17	30	9.03	77	41	33.36
25	17	27	54.06	77	36	7.87
26	17	29	20.53	77	35	58.17
27	17	29	18.53	77	32	16.41
28	17	27	19.73	77	31	53.94
29	17	27	48.55	77	34	26.54
30	17	28	0.96	77	35	13.57
31	17	28	46.01	77	34	28.12
32	17	28	48.26	77	34	53.42
33	17	24	5.34	77	30	47.34
34	17	25	25.80	77	29	39.69
35	17	26	58.70	77	29	12.04

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Map id	Latitude			Longitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	17	23	8.89	77	31	11.77
2	17	23	32.12	77	29	30.59

3	17	24	58.47	77	28	38.40
4	17	26	47.79	77	27	8.88
5	17	29	29.43	77	28	17.80
6	17	32	3.85	77	25	54.36
7	17	33	51.34	77	25	3.40
8	17	34	35.03	77	24	24.25
9	17	34	35.03	77	22	48.19
10	17	34	39.72	77	21	39.47
11	17	35	21.33	77	21	25.37
12	17	35	14.33	77	20	31.69
13	17	36	18.73	77	22	9.69
14	17	37	41.69	77	23	24.92
15	17	36	58.98	77	24	50.06
16	17	35	41.27	77	24	24.31
17	17	35	35.83	77	25	43.08
18	17	36	23.62	77	26	47.19
19	17	34	56.66	77	26	50.02
20	17	32	29.55	77	30	29.18
21	17	34	27.61	77	31	45.85
22	17	33	7.17	77	33	3.74
23	17	33	26.54	77	34	47.24
24	17	31	49.88	77	34	31.54
25	17	33	38.69	77	35	45.49
26	17	32	0.75	77	35	55.07
27	17	31	28.91	77	38	21.93
28	17	31	16.58	77	39	48.65
29	17	30	35.60	77	41	25.48
30	17	28	27.69	77	41	23.34
31	17	28	54.41	77	39	13.14
32	17	30	19.28	77	39	29.60
33	17	28	33.28	77	38	39.17
34	17	28	20.69	77	38	5.59
35	17	28	23.19	77	37	1.32
36	17	27	2.91	77	35	29.74
37	17	28	5.12	77	32	56.77
38	17	26	33.44	77	32	45.60
39	17	25	46.53	77	30	51.26
40	17	24	20.37	77	32	19.57

ANNEXURE-IV

TABLE – A: LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Map id	Name of the Village	Extent (Ha.)	Latitude			Longitude			Remarks
			Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.	
1	Mariyana	122.97	17	23	32.27	77	31	26.84	Part Village
2	Bhairampalli	226.88	17	23	42.41	77	30	44.49	Part Village
3	Kallura Road	33.8	17	23	34.37	77	29	43.13	Part Village
4	Somalingadhalli	626.61	17	24	47.42	77	29	28.13	Part Village
5	Chikkalingadhalli	301.99	17	26	13.80	77	28	51.79	Part Village
6	Kalbhavi	477.52	17	27	24.27	77	27	44.83	Part Village
7	Bogalingadahalli	417.26	17	28	38.93	77	28	28.02	Part Village

8	Inolli	792.33	17	30	12.99	77	28	5.46	Part Village
9	Chandrampalli	301.14	17	31	22.32	77	28	4.57	Part Village
10	Gottamagotta.K	146.35	17	32	40.08	77	28	16.26	Part Village
11	Patthepura	38.02	17	31	13.64	77	26	24.73	Part Village
12	Kollur	842.1	17	32	2.93	77	26	41.30	Part Village
13	Nagaidalai	318.2	17	33	7.18	77	25	26.33	Part Village
14	Kusarampalli	195.71	17	34	1.72	77	26	9.04	Part Village
15	Manikapura	231.64	17	34	2.45	77	26	50.70	Part Village
16	Kathanagidda	31.43	17	34	5.17	77	31	46.64	Part Village
17	Sangapura	188.26	17	33	33.09	77	32	19.78	Part Village
18	Dharmasagara	923.85	17	31	52.01	77	32	5.78	Full Village
19	Kusarampalli	1924.51	17	32	23.10	77	34	21.12	Full Village
20	Anthawaram	78.71	17	31	22.52	77	35	3.42	Part Village
21	Buragadoddi	56.39	17	29	29.25	77	33	37.69	Part Village
22	Linganagara	141.23	17	31	8.09	77	37	7.79	Part Village
23	Bhonasapura	364.13	17	30	54.23	77	38	2.53	Part Village
24	Shivarampura	513.39	17	30	45.13	77	39	19.53	Part Village
25	Mogadhampura	639.83	17	29	41.44	77	40	8.97	Part Village
26	Pochawaram	226.17	17	29	10.24	77	38	36.67	Part Village
27	Shivareddypalli	255.96	17	29	54.76	77	38	21.57	Part Village
28	Konchavaram	386.51	17	28	50.34	77	37	40.20	Part Village
29	Lachamsagara	123.6	17	29	41.38	77	37	32.20	Part Village
30	Chindhanura	426.92	17	28	38.96	77	35	34.55	Part Village
31	Jilawarasha	431.68	17	27	32.27	77	35	44.21	Part Village
32	Shadhipura	1613.21	17	28	2.62	77	33	16.69	Part Village
Total:		**13398.3**							

TABLE B: DETAILS OF THE ENCLOSURE VILLAGES WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF CHINCHOLI WILDLIFE SANCTUARY

Map id	**Name of the enclosure**	**Extent (Ha.)**	**Latitude**			**Longitude**		
			Deg	**Mins**	**Secs**	**Deg**	**Mins**	**Secs**
A	Chandrampalli	47.71	17	31	51.10	77	29	13.43
B	Sangapur	9.65	17	33	37.58	77	31	57.41
C	Seribikanalli	25.16	17	30	29.95	77	30	33.49
D	Anthawaram-1	12.22	17	31	6.53	77	33	57.64
E	Anthawaram-2	7.39	17	30	46.26	77	33	56.10
F	Anthawaram-3	181.62	17	30	30.92	77	34	54.71
G	Anthawaram-4	17.33	17	31	6.49	77	35	25.93
H	Mombapur	21.58	17	30	15.88	77	36	17.59
I	Chindanoor	193.82	17	29	8.52	77	36	23.76
J	Lachamsagar	7.34	17	29	51.11	77	36	35.06

K	Magdampur	7.4	17	30	5.58	77	40	55.13
	Total	**531.22**						

TABLE C: DETAILS OF THE RESERVE FOREST AREAS WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY.

S. No	Name of the Reserved Forest	Area in Ha	G.O/Notification Number
1	Changlair Reserve Forest	752.05	AFD/133/FAF/65 dt.18.03.1966
2	Chincholi Reserve Forest	511.76	U/S 7 of HFA
Total		**1263.81**	

TABLE D: DETAILS OF THE UN-CLASSIFIED FOREST AREAS WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE BOUNDARY.

Map ID	Name of the Forest	Class of Forest	Latitude			Longitude			Area in Ha
			Deg	Mins	Secs	Deg	Mins	Secs	
a	Pochawaram	Un-classified Forest	17	32	15.42	77	30	53.30	58.86
b	Venkatapur	Un-classified Forest	17	32	9.41	77	34	7.26	708.69
c	Dharmasagar	Un-classified Forest	17	31	29.65	77	32	39.57	568.79
	Total:								**1336.34**

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.14 19:33:00 +05'30'